

संख्या-५०८/१५-१७-८६-६३।।।४।।।८६

प्रेषक,

श्री एकांस्तुमोत्तम,  
उप वाच्य  
उत्तर प्रदेश शासन ।

तेवा में,

पूर्वोत्तर,  
टेन्ट स्लोटियस स्कूल,  
तिविल लाइन,  
पीलीभीत ।

शिक्षा।।।।। अनुभाग

लघनङ्गः दिनांक २२ अक्टूबर, १९८६।

विषय:- टेन्ट स्लोटियस स्कूल तिविल लाइन, पीलीभीत को अनापीत प्रमाण-पत्र जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टेन्ट स्लोटियस स्कूल, तिविल लाइन, पीलीभीत को टेन्डर बोर्ड आफ ब्रेक्वेंडरी स्कूलेज नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापीत प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा कीतपय शार्तों के अधीन पुदान करने पर विचार किया जा सकता है। यदि आप सशार्त अनापीत प्रमाण-पत्र के इच्छुक हैं तो निम्न प्रतिबन्धों शार्तों को स्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें :-

### १क। सामान्य प्रतिबन्ध

१- विधालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य हो।

२- विधालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान प्रतिभावान, पिछड़े तथा निर्बत आय वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे वही शूलक लिया जायेगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/ बोर्ड शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विधालयों के विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित है।

३- संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।

४- संस्था के सभी अध्यापक/अध्याधिकारी/प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार ते अनुदानित तमक्षीय विधालयों में अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन वेतनमान।

*Principal*  
PRINCIPAL  
ST. ALOYSIUS COLLEGE  
PILIBHIT (U.P.) 262001

*Manager*  
St. Aloisius School  
Pilibhit (U.P.) 262001

तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।


- 5- राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन संस्था के लिए अधिवार्य होगा।
- 6- विधालय का अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का रखा जायेगा।

### छविशोष प्रतिबन्ध

- 1- विधालय की पृष्ठन्ध सीमित रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उत्तरा नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- 2- विधालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार का एक कक्षा-कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, प्रयोग शाला कई तथा पार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
- 3- कर्मचारियों की सेवा-शर्त बनाई जायेंगी तथा उन्हें अशासकीय सहायताप्राप्त श्रेष्ठालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 4- विधालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।  
5- उक्त शार्तों का एक निश्चित समय के भीतर पूरा कर उनका पालन किया जाता रहेगा और किसी भी समय उक्त शार्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनावृत्त प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

  
PRINCIPAL  
ST. ALOYSIUS COLLEGE  
PILIBHIT (U.P.) 262001

  
Manager  
St. Aloysis School  
Pilibhit (U.P.) 262001

  
भवदीव,  
१५/११/०५  
१. एलोइसियस गौतम  
उप अधिकारी।